छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

(मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर – 492002)
Tele : 0771-2512121, Fax : 2512122, website : www.cghb.gov.in, email : cghbho@gmail.com

क्र.13 /संपदा/एफ–66/2023 नवा रायपुर दिनांक 07/03 /2023

// आदेश //

विषयः–स्ववित्तीय योजनांतर्गत (केवल निर्मित भवनों के लिए) तथा एकमुश्त/ ऑफर/भाड़ाक्रय आधार पर विलंबित अवधि की ब्याज राशि में छूट देने बाबत्।

——000——

मण्डल आदेश क्रमांक 10, दिनांक 27.01.2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 72 वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 28.12.2022 के एजेण्डा क्रमांक 24 पर पारित संकल्प कमांक 1996/24/72/12/2022 में संचालक मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए, स्ववित्तीय योजनांतर्गत (केवल निर्मित भवनों के लिए) तथा एकमुश्त/ऑफर/भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित भवनों के हितग्राहियों को भवनों के बकाया राशि पर भारित विलंबित अवधि के ब्याज राशि में संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर ब्याज राशि में 50 प्रतिशत छूट दिए जाने संबंधी प्रस्ताव का मण्डल द्वारा अनुमोदन करते हुए, अन्य समस्त अनुशांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को अधिकृत किया गया है। उक्त जारी आदेश में विलंबित अवधि की ब्याज में छूट देने हेतु योजना की समयावधि का उल्लेख नही था।

अतः स्ववित्तीय योजनांतर्गत (केवल निर्मित भवनों के लिए) तथा एकमुश्त/ऑफर/ भाड़ाक्रय आधार पर विलंबित अवधि की ब्याज राशि में छूट प्रदान करने की अंतिम तिथि दिनांक 30.06.2023 तक निर्धारित किया जाता है।

(आयुक्त महोदय के आदेशानुसार)

06/3/2023

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
नवा रायपुर अटल नगर

पृ.क्र. 501 /संपदा/एफ–66/2023 नवा रायपुर, दिनॉक 07/03/2023

प्रतिलिपिः–

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, नवा रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

क्रमशः–02

4. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
6. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय/वृत्त—रायपुर/नवा रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/अंबिकापुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
8. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग—01,02,03,04, रायपुर/ राजधानी परियोजना संभाग—01 नवा रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा/बिलासपुर/ रायगढ़/ कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द/कोरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र—01,02,04 सेजबहार रायपुर/राजधानी परियोजना प्रक्षेत्र—रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा/बिलासपुर /रायगढ़/कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द/कोरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. प्रभारी एन.आई.सी., छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

06/3/2023

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
नवा रायपुर अटल नगर